न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र संख्या : 63/2015

<u>वादी/प्रार्थीगण</u>

भल्लाराम

प्रतिवादीगण /अप्रार्थीगण

कलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा–राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.02.2023	वकुलाय उपस्थित प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि वाके गांव निम्बलासर (सर), तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 403 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 416 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा कुल दो खसरों का योग 38 बीघा 13 बिस्वा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 का 1/3 हिस्सा होना बताया गया है व प्रार्थी का 1/12 हिस्सा संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की पैतृक व पुश्तैनी भूमि है। पक्षकारान् के बीच आज दिन तक कोई विभाजन नहीं हुआ है। जब तक मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाडा नहीं किया जाता तब तक मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 07 व 08 द्वारा दौराने बहस बताया गया कि उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 403 व खसरा नम्बर 416 कुल रकबा 38 बीघा 13 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा यानि 19 बीघा 06 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 09.10.2015 को अप्रार्थी संख्या 04 राजुराम पुत्र डूंगरराम से खरीद की गई एवं मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया, लेकिन राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 07 व 08 के अधिकार प्रभावित होते है। अप्रार्थी संख्या 07 व 08 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बेचान के कृषि भूमि को खरीद किया गया है, जिसके संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी संख्या 07 व 08 के पक्ष में है, इससे प्रार्थी के किसी प्रकार के हक व हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अप्रार्थी संख्या 07 व 08 द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने की अवस्था में अप्रार्थी संख्या 07 व 08 को भारी अपूर्णीय क्षति हो रही है। राज्य एवं भारत सरकार द्वारा दी जा रही बीमा सुविधा, अनुदान सुविधाओं से भी वंचित होना पड़ रहा है। अप्रार्थी संख्या 05 श्रीमती हिरकी पुत्री डूंगरराम द्वारा अपने हिस्से में से 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 04 राजुराम को एवं 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 03 शान्ति को हकतर्क किया जा चुका है। तत्पश्चात् अप्रार्थी संख्या 04 का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा निहित होने की अवस्था में अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा अप्रार्थी संख्या 07 व 08 को संयुक्त रूप से जरिये बेचाननामा के कृषि भूमि का विक्रय किया गया है। अप्रार्थी संख्या 04 व 05 अनावश्यक पक्षकार है। विक्रेता द्वारा विक्रय की गई भूमि के संबंध में कोई उजर एवं एतराज नहीं किया गया है, ऐसी अवस्था में माननीय न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा स्थगन आदेश को	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

निरस्त फरमाया जावे। पक्षकारान् की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा कृषि भूमि वाके गांव निम्बलासर (सर), तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 403 रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 416 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा कुल दो खसरों का योग 38 बीघा 13 बिस्वा में से अपना 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 07 व 08 को जरिये बेचाननामा के विक्रय किया गया एवं बेचाननामा में अप्रार्थी संख्या 07 व 08 से प्रतिफल राशि प्राप्त कर वास्तविक एवं भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्द किये जाने के तथ्य अंकित है ऐसी अवस्था में अप्रार्थी संख्या 04 के जो भी अधिकार निहित है वे सभी अधिकार अप्रार्थी संख्या 07 व 08 को प्राप्त हुए है, अप्रार्थी संख्या 07 व 08 में राजस्व रेकर्ड में नाम अमल–दरामद नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 07 व 08 के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा विक्रय की गई भूमि के संबंध में किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज नहीं किया गया है। ऐसी अवस्था में अप्रार्थी संख्या 07 व 08 के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला साबित है एवं अप्रार्थी संख्या 07 व 08 द्वारा प्रतिफल राशि अदा कर कृषि भूमि को खरीद किया गया है, जिसका की राजस्व रेकर्ड में नाम अमल दरामद नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 07 व 08 को अपूर्णीय क्षति होगी एवं अपने अधिकारों से वंचित होने से असुविधा होगी इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी संख्या 07 व 08 के पक्ष में साबित होने से प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं होने से प्रार्थी के स्थगन आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी